एप्पेलेट सिविल

माननिए न्यायमूर्ति प्रीतम सिंह पट्टार के समक्ष

गुरनाम कौर और एक अन्य, प्रतिवादी-अपीलकर्ता।

बनाम

पूरन सिंह आदि,-वादी-प्रतिवादी।

1973 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 1314।

14 अगस्त, 1975।

हिंदू विवाह अधिनियम (1955 का XXV)-धारा 5 (i) 11 और 16-एक शून्य विवाह के बच्चों को धारा 16 के तहत वैधता का अनुदान-ऐसे विवाह की निरर्थकता की डिक्री प्राप्त करना-चाहे एक शर्त पूर्ववर्ती हो-ऐसे बच्चे-क्या अपने माता-पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी होने के हकदार हैं।

अभिनिर्धारित किया गयाः कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 11 के अधीन शून्य विवाह की निरर्थकता की डिक्री प्राप्त करना अधिनियम की धारा 16 के अधीन ऐसे विवाह के बच्चों को वैधता प्रदान करने के लिए पूर्ववर्ती शर्त है जो डिक्री से पहले जन्म लेते हैं या गर्भ धारण करते हैं। यदि इस तरह के विवाह को रद्द करने की डिक्री पारित की जाती है तो डिक्री से पहले पैदा हुए या गर्भ धारण किए गए बच्चों को वैध बच्चे माना जाएगा जो अपने माता-पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी होने के हकदार होंगे। हालांकि, यदि अधिनियम की धारा 11 के तहत निरर्थकता की डिक्री पारित नहीं की गई है, तो धारा 16 के प्रावधानों को अमान्य विवाह के बच्चों को वैध बनाने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 10).

हिसार के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री आरएल लांबा की दिनांक 27 अगस्त, 1973 की डिक्री से नियमित द्वितीय अपील, जिसमें श्री वेद प्रकाश, उप-न्यायाधीश तृतीय श्रेणी, सिरसा द्वारा दिनांक *13 मई, 1971 को की गई पुष्टि की गई है, जिसमें वादी को 319 कनाल* 19 *कनाल भूमि के 1/5 वें हिस्से के कब्जे के लिए डिक्री प्रदान की गई थी।सिरसा तहसील के पंजमाला गांव में स्थित वाद पत्र के शीर्षक में वर्णित मर्लस, जैसा कि राम सिंह पुत्र महला सिंह द्वारा एक घोषणा द्वारा छोड़ा गया है कि वादी और प्रतिवादी संख्या 12 है।* 3 *उक्त राम सिंह, मृतक के उत्तराधिकारी हैं और नामांतरण संख्या 2008 हैं।* (ग) दिनांक *19 दिसम्बर,*

1965 को प्रतिवादी संख्या 393 के पक्ष में संस्वीकृत धारा 393 को प्रतिवादियों *की संख्या 393 के पक्ष में स्वीकृति प्रदान की गई।* 1 *और 2,* जहां उन्हें क्रमशः राम सिंह की विधवा और बेटी के रूप में दिखाया गया है, मृतक शून्य है और वादी और प्रतिवादी संख्या 2 के लिए बाध्यकारी नहीं है।

दोनों न्यायालयों ने पक्षों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया।.

अपीलकर्ताओं की ओर से एडवोकेट एन. एस. कंबोज के साथ एडवोकेट मलुक सिंह।

जगदीश सिंह, एडवोकेट, प्रतिवादियों के लिए।

निर्णय

माननिए न्यायमूर्ति **पट्टार.**– (1) हिसार के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के 27 अगस्त, 1973 के फैसले के खिलाफ गुरनाम कौर और एक अन्य, प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं द्वारा दायर यह एक नियमित दूसरी अपील है, जिसके तहत उन्होंने उनके द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और ट्रायल कोर्ट के डिक्री की पुष्टि की।.

(2) निम्नलिखित वंशावली तालिका इस मामले के तथ्यों को समझने में उपयोगी होगी:-

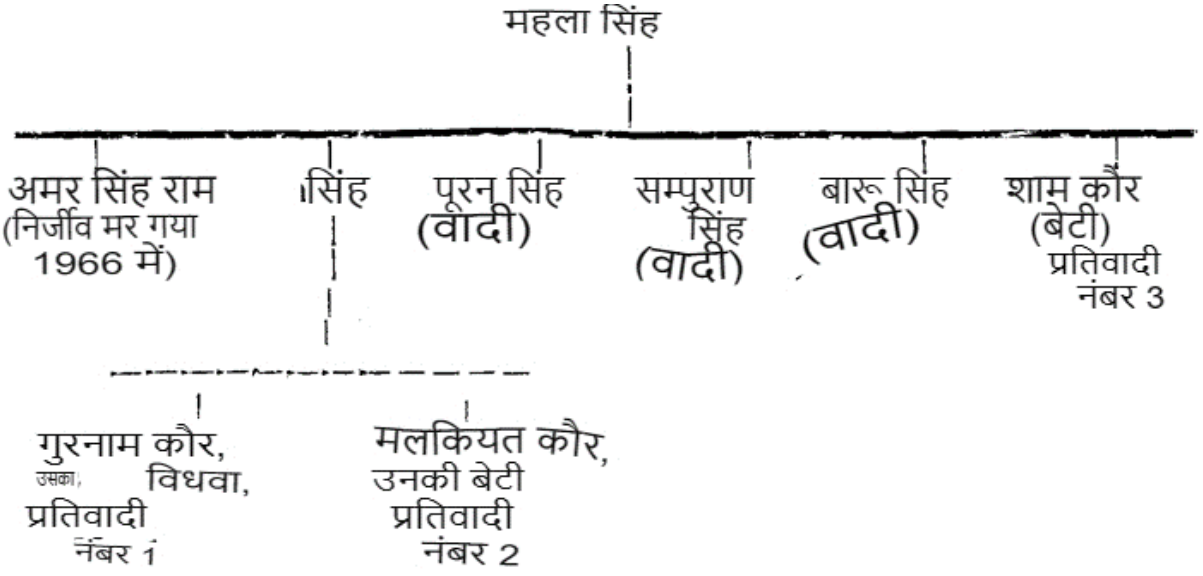

मनिया सिंह 319 कनाल और 19 मारिया की भूमि के मालिक थे और पूरी तरह से वाद-पत्र में वर्णित और गांव पंजमला, तहसील सिरसा, जिला हिसार के क्षेत्र में स्थित थे और उनकी मृत्यु पर यह भूमि उनके पांच बेटों को समान हिस्से में विरासत में मिली थी। ऐसा लगता है कि शाम कौर, प्रतिवादी संख्या 3, को यह भूमि विरासत में नहीं मिली थी। माहला सिंह के बेटे राम सिंह का 1962 के आसपास निधन हो गया और जमीन में उनका पांचवां हिस्सा

आधिकारिक तौर पर प्रतिवादी नं. 1, और मल्कियत कौर, प्रतिवादी नं। 2, राजस्व अधिकारियों द्वारा। दावा किया गया कि वे मृतक की क्रमशः विधवा और बेटी हैं। माहला सिंह के एक अन्य पुत्र अमर सिंह की मृत्यु 1966 में 1968 में वर्तमान मुकदमा दायर होने से पहले ही हो गई थी। वादी पूरन सिंह, सम्पूरन सिंह और बारू सिंह ने अपने भाई राम सिंह की भूमि के पांचवें हिस्से पर कब्जा करने के लिए एक दीवानी मुकदमा शुरू किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतिवादी वर्णम कौर बलवंत सिंह की पत्नी थी, जो अभी भी जीवित है और उसने मृतक राम सिंह से शादी नहीं की थी। आगे यह दावा किया गया कि राम सिंह के साथ उनकी शादी, जबकि उनके पिछले पति बलवंत सिंह जीवित थे, ने इस संबंध को अमान्य कर दिया। इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि दूसरी प्रतिवादी मल्कियत कौर राम सिंह की बेटी नहीं थी। नतीजतन, यह दावा किया गया कि वर्णम कौर और मल्कियत कौर राम सिंह की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं थे। राजस्व अधिकारियों द्वारा उनके नामों में परिवर्तन को गलत माना गया और वादी ने तर्क दिया कि वे राम सिंह की संपत्ति के सही उत्तराधिकारी थे।

(3) मुकदमा शुरू करने के समय, मल्कियत कौर, जो प्रतिवादियों में से एक है, नाबालिग थी, और एक अन्य प्रतिवादी, वर्णम कौर ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया। गुरनाम कौर ने अपने **लिखितकथन** में स्वीकार किया कि पहले उसकी शादी बलवंत सिंह से हुई थी, जिसने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद, उसने दावा किया कि उसने जाट रीति-रिवाजों के अनुसार राम सिंह के साथ करेवा विवाह किया, और इस शादी को वैध माना गया। गुरनाम कौर ने आगे कहा कि मल्कियत कौर का जन्म उनके और राम सिंह के घर उनकी शादी के दौरान हुआ था, और उनके नामों में नामांतरण, राजस्व अधिकारियों द्वारा विधिवत अनुमोदित, उचित था। उन्होंने दलील दी कि मुकदमे में दम नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।. पक्षकारों की इन aअभिवचन पर ट्रायल कोर्ट द्वारा निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थे -

(1)क्या प्रतिवादी नंबर 1 ने *राम सिंह मृतक के साथ वैध रूप से करेवा किया था, यदि हां, तो इसका क्या प्रभाव है?*

(2) क्या प्रतिवादी नंबर 2 राम सिंह की बेटी है?
(3)यदि मुद्दा संख्या 2 साबित हो जाता है तो क्या गुरनाम कौर प्रतिवादी करेवा विवाह के मामलों में रिवाज द्वारा शासित है और यदि हां, तो वह रिवाज क्या है?

(4) क्या मुकदमा समय सीमा के भीतर है?

(5) राहत .

(4) अधीनस्थ न्यायाधीश ने माना कि गुरनाम कौर ने राम सिंह के साथ कोई वैध करेवा विवाह नहीं किया था और मलकीयत कौर राम सिंह की वैध बेटी नहीं थी और उन्होंने प्रतिवादियों के खिलाफ मुद्दा संख्या 1 और 2 का फैसला किया। उन्होंने माना कि करेवा का कोई कथित रिवाज साबित नहीं हुआ था और उन्होंने प्रतिवादियों के खिलाफ मुद्दा नंबर 3 भी तय किया। मुकदमा समय के भीतर माना गया और उन्होंने वादी के पक्ष में मुद्दा संख्या 4 तय किया। नतीजतन, वादी के मुकदमे का फैसला सुनाया गया था। परेशान महसूस करते हुए आरोपियों गुरनाम कौर और मलकीयत कौर ने जिला न्यायाधीश की अदालत में उस डिक्री के खिलाफ अपील दायर की, जिस पर आखिरकार अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने सुनवाई की। विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने सभी मुद्दों पर ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि की और लागत के रूप में बिना किसी आदेश के अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद गुरनाम कौर और मलकीयत कौर ने यह दूसरी अपील दायर की।.

(5) यह निर्विवाद है कि प्रतिवादी-अपीलकर्ता गुरनाम कौर की शादी बलवंत सिंह के साथ हुई थी, जो गांव मल्लान, तहसील मुक्तसर, जिला फिरोजपुर की थी और वह लगभग 20 वर्षों तक उसकी पत्नी के रूप में उसके घर पर रही और उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। हिसार के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने गुरनाम कौर, प्रतिवादी द्वारा अपने लिखित बयान में किए गए प्रवेश और पक्षों के सबूतों पर चर्चा करने के बाद फैसला किया कि उसे वर्ष 1956 में बलवंत सिंह द्वारा छोड़ दिया गया था और उसके बाद उसने कथित तौर पर राम सिंह के साथ करेवा शादी कर ली और उसकी योनि से उसने प्रतिवादी-अपीलकर्ता नंबर 2 मलकीयत कौर को जन्म दिया। वर्ष 1962 में राम सिंह की मृत्यु हो गई। उन्होंने आगे पाया कि प्रतिवादी द्वारा लगाए गए करेवा का कोई रिवाज साबित नहीं हुआ था और अगर करेवा का ऐसा कोई रिवाज था तो यह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 4 के प्रावधानों द्वारा निरस्त कर दिया गया था, जो 18 मई, 1955 से लागू हुआ था। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने मुद्दे संख्या 1, 2 और 3 पर ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि की।

(6अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री मलूक सिंह ने इन मुद्दों पर निचली अपीलीय अदालत के फैसले को चुनौती नहीं दी। हालांकि, उन्होंने तर्क दिया कि यह मानते हुए कि राम सिंह के साथ गुरनाम कौर की शादी शून्य थी और मलकियत कौर राम सिंह की वैध बेटी नहीं थी, तब भी वह (मलकियत कौर) हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के मद्देनजर राम सिंह की संपत्ति का उत्तराधिकारी होने की हकदार है। विद्वान वकील के इस तर्क पर चर्चा करने के लिए, मैंने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (इसके बाद अधिनियम कहा जाता है) के प्रासंगिक प्रावधानों को नीचे प्रस्तुत किया है।

5. **हिन्दू विवाह के लिए शर्तें**-दो हिंदूओं के बीच विवाह अनुष्ठापित किया जा सकेगा यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाएं, अर्थात्: -

(I) विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से, न तो वर की कोई जीवित पत्नी हो और न वधू का कोई जीवित पति हो;

(ii) *******.

(iii) *******".

अधिनियम की धारा 11 निम्नानुसार है -

"इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् अनुष्ठापित कोई भी विवाह, यदि वह धारा 5 के खण्ड (I), (IV) और (V) में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी एक का भी उल्लंघन करता हो तो, अकृत और शून्य होगा और विवाह के किसी पक्षकार द्वारा [दूसरे पक्षकार के विरुद्ध] उपस्थापित अर्जी पर अकृतता की डिक्री द्वारा ऐसा घोषित किया जा सकेगा" ।

अधिनियम की धारा 16 में कहा गया है -

"(1) इस बात के होते हुए भी कि विवाह धारा 11 के, अधीन अकृत और शून्य है, ऐसे विवाह का ऐसा अपत्य धर्मज होगा, जो विवाह के विधिमान्य होने की दशा में धर्मज होता चाहे ऐसे अपत्य का जन्म विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारंभ से पूर्व या उसके पश्चात् हुआ हो और चाहे उस विवाह के संबंध में अकृतता की डिक्री इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई हो या नहीं और चाहे वह विवाह इस अधिनियम के अधीन अर्जी से भिन्न आधार पर शून्य अभिनिर्धारित किया गया हो या नहीं ।.....

.....".

(7) यह स्वीकार किया जाता है कि गुरनाम कौर ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के लागू होने के बाद अपने पति बलवंत सिंह के जीवनकाल के दौरान राम सिंह के साथ करेवा विवाह किया था। इसलिए, राम सिंह के साथ गुरनाम कौर की शादी शून्य थी और इस प्रकार मलकियत कौर राम सिंह की वैध बेटी नहीं है। श्री मलूक सिंह का तर्क यह है कि अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार, मलकीयत कौर को राम सिंह और गुरनाम कौर की वैध बेटी माना जाता है और इसलिए, वह राम सिंह की संपत्ति का उत्तराधिकारी होने की हकदार है। इस तर्क के समर्थन में उन्होंने बंशीधर झा बनाम *बंशीधर झा* पर *भरोसा किया।छबि चटर्जी* ए.आई.आर. 1967 पटना 277. इस मामले के तथ्य यह थे कि श्रीमती छबी चटर्जी ने 21 जुलाई, 1962 को बंशीधर झा के साथ एक मंदिर में पारंपरिक अधिकार के अनुसार माला ओं का आदान-

प्रदान करके और याचिकाकर्ता द्वारा अपने माथे पर सिंदूर लगाकर शादी की। तब से उसने दावा किया कि वह उसके साथ कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के रूप में रहती थी और 23 मई, 1963 को कटिहार अस्पताल में लड़की को जन्म दिया। उसने पूर्णिया (बिहार) के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट की अदालत में अपने लिए और अपने पति के खिलाफ अपनी नवजात बेटी के भरण-पोषण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 488 के तहत आवेदन दिया। प्रतिवादी-पति ने उसके आरोपों से इनकार किया और दलील दी कि बच्ची उसकी संतान नहीं है और न ही छबी चटर्जी उसकी पत्नी है। उन्होंने कहा कि वह 1952 से हिंदू कानून के तहत पहले से ही कानूनी रूप से विवाहित पत्नी हैं और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के मद्देनजर, छबी चटर्जी के साथ यदि कोई विवाह *होता* है तो वह शुरू से ही अमान्य था, और इसलिए, वह आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 488 के तहत किसी भी रखरखाव की हकदार नहीं थी। अनुविभागीय दंडाधिकारी ने आवेदन स्वीकार करते हुए बंशीधर झा को अपनी पत्नी छबी चटर्जी के भरण-पोषण के लिए 30 रुपये प्रति माह और नवजात पुत्री के भरण-पोषण के लिए 20 रुपये प्रति माह देने का आदेश दिया। इस आदेश के खिलाफ बंशीधर झा ने पटना हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की थी. उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए एकमात्र बिंदु यह था कि बंशीधर झा के साथ छबि चटर्जी की शादी वैध थी या शून्य और क्या वह किसी भी रखरखाव की हकदार थी। उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया कि क्या बंशीधर झा की 1962 में छबि चटर्जी के साथ शादी की तारीख पर कोई कानूनी रूप से विवाहित पत्नी रह रही थी और अगर इस सवाल का जवाब सकारात्मक था तो छबि चटर्जी के साथ उनका विवाह शून्य था और वह धारा 488 के तहत उनकी पत्नी के रूप में किसी भी रखरखाव की हकदार नहीं थी। दंड प्रक्रिया संहिता। हालांकि, अगर सवाल का जवाब नकारात्मक था तो पार्टियों की शादी वैध थी और वह मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमत दर पर रखरखाव की हकदार थी। नतीजतन, छबि चटर्जी को दिए गए गुजारा भत्ता से संबंधित मजिस्ट्रेट के आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया गया और इस सवाल को निर्धारित करने के लिए मामले को मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया गया कि बंशीधर झा और छबि चटर्जी की शादी वैध थी या नहीं। नाबालिग बेटी को देय भरण-पोषण को लेकर हाईकोर्ट के समक्ष कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, क्योंकि धारा 488, दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अनुसार, एक नाजायज बच्चा भी अपने पिता से भरण-पोषण पाने का हकदार है। यह सवाल कि क्या हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 के प्रयोजनों के लिए शून्य विवाह के नाजायज बच्चे को वैध माना जाना था, उस मामले में शामिल नहीं था। इसलिए पटना हाईकोर्ट के इस फैसले से अपीलकर्ताओं को कोई फायदा नहीं होगा।

(8) इसके विपरीत, प्रतिवादियों के वकील श्री जगदीश सिंह ने *तुलसी अम्मल बनाम तुलसी पर* भरोसा किया । *गौरी अम्मल और अन्य* ए.आई.आर. 1964 मद्रास 118। उस मामले के तथ्य यह थे कि एक पेरियासामी ने अपनी पहली पत्नी के साथ वैध विवाह के निर्वाह के दौरान कन्नू अम्मल से शादी की, जो जीवित थी। उनकी लोइयों से दूसरी पत्नी श्रीमती कन्नू अम्मल ने एक पुत्री को जन्म दिया। पेरियासामी की मृत्यु के बाद, संपत्ति उनकी पहली पत्नी को विरासत में मिली थी। पेरियासामी के लोइन से दूसरी पत्नी और उसकी नाबालिग बेटी ने शीर्षक की घोषणा और पेरियासामी की आधी संपत्ति के कब्जे की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने माना कि पेरियासामी के साथ श्रीमती कन्नू अम्मल की शादी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 (1) और धारा 11 के कारण शून्य थी, और इसलिए, वह अपने पति की संपत्ति का उत्तराधिकारी होने की हकदार नहीं थी और उसका मुकदमा खारिज कर दिया गया था। हालांकि, बेटी के मुकदमे का फैसला सुनाया गया था। प्रतिवादियों द्वारा इस डिक्री के खिलाफ एक अपील दायर की गई थी और इसे खारिज कर दिया गया था। प्रतिवादी, जो पहली विधवा और उसके नाबालिग बेटे थे, ने तब मद्रास उच्च न्यायालय में अपील दायर की। इस अपील को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा स्वीकार कर लिया गया था कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 के प्रावधान नाबालिग बेटी को दूसरी पत्नी से मदद नहीं करते हैं क्योंकि अधिनियम की धारा 11 के तहत शून्यता की डिक्री प्राप्त नहीं की गई थी और अपील को स्वीकार कर लिया गया था और दूसरी पत्नी से नाबालिग बेटी के पक्ष में निचली अदालत द्वारा पारित डिक्री को रद्द कर दिया गया था। इस निर्णय के विरुद्ध कन्नू अम्मल के साथ पेरियासामी के शून्य विवाह से जन्मी पुत्री ने पेटेंट अपील दायर की, जिसे एक खंडपीठ ने खारिज कर दिया और इसे निम्नानुसार माना गया:-

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 स्पष्ट रूप से उस स्थिति को संबोधित करती है जिसमें किसी भी विवाह के संबंध में धारा 11 या धारा 12 की शून्यता की घोषणा जारी की जाती है। यह केवल ऐसी स्थिति में है कि डिक्री बनाए जाने से पहले पैदा हुआ या गर्भ धारण किया गया कोई भी बच्चा अमान्यता की डिक्री के बावजूद उस विवाह से पैदा हुआ एक वैध बच्चा माना जाएगा। लेकिन जहां निरर्थकता की डिक्री प्राप्त नहीं की गई है, वहां इस तरह के शून्य विवाह से पैदा हुए मुद्दे को वैध बनाने के उद्देश्य से धारा के किसी भी हिस्से को लागू नहीं किया जा सकता है।

इसी आशय का कानून *गौरी अम्मल और अन्य* में *निर्धारित किया गया था।तुलसी अम्मल और एक अन्य* ए.आई.आर. 1962 मद्रास 510. इन निर्णयों में निर्धारित कानून इस मामले के तथ्यों पर उपयुक्त रूप से लागू होता है। इन मामलों में निर्धारित कानून के मद्देनजर, मलकीयत कौर अपीलकर्ता राम सिंह की संपत्ति में सफल नहीं हो सकती क्योंकि अधिनियम

की धारा 11 के तहत विवाह की शून्यता का कोई डिक्री प्राप्त नहीं की गई थी। अधिनियम की धारा 16 के तहत मामला लाने के लिए, बच्चे के माता-पिता के बीच शून्य विवाह के तथ्य को साबित किया जाना चाहिए और यह दिखाया जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 11 के तहत उस विवाह के संबंध में शून्यता की डिक्री दी गई है और बच्चे को शून्यता की डिक्री के पारित होने से पहले जन्म दिया गया था या गर्भ धारण किया गया था। गुरनाम कौर के साथ राम सिंह की करेवा शादी साबित नहीं हुई है। यह भी स्वीकार किया जाता है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत उस शून्य विवाह की शून्यता का कोई आदेश प्राप्त नहीं किया गया है और परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील के तर्क में कोई बल नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

(9) हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 एक अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों की स्थिति को संबोधित करती है जिसके लिए अधिनियम की धारा 11 के तहत निरर्थकता की डिक्री प्राप्त की गई है। ऐसे मामलों में, डिक्री से पहले गर्भ धारण किए गए या पैदा हुए बच्चों को वैध माना जाता है और उन्हें अपने माता-पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी होने का अधिकार होता है। हालांकि, धारा 16 में विशेष रूप से अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों की वैधता को शामिल नहीं किया गया है। इस धारा के अनुसार, यदि अधिनियम की धारा 11 के तहत निरर्थकता की डिक्री दी जाती है तो अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे वैध हो जाते हैं, जबकि ऐसी कोई डिक्री प्राप्त नहीं होने पर उन्हें अवैध माना जाता है। यह एक विसंगत और अप्रत्याशित स्थिति पैदा करता है जिसका विधायिका द्वारा अनुमान नहीं लगाया गया होगा। अधिनियम में इस अंतर को सुधारने के लिए विधायी हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी ।

(10) इसलिए, कानूनी दृष्टिकोण से, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत शून्य विवाह के लिए शून्यता की डिक्री प्राप्त करना आवश्यक है, जो इस तरह के डिक्री से पहले पैदा हुए या पैदा हुए बच्चों को उसी अधिनियम की धारा 16 के तहत वैधता प्रदान करने के लिए एक शर्त है। ऐसे मामलों में जहां विवाह को रद्द करने वाला एक फरमान जारी किया जाता है, डिक्री से पहले गर्भ धारण या पैदा हुए बच्चों को वैध माना जाता है और उन्हें अपने माता-पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होने का अधिकार होता है। हालांकि, यदि अधिनियम की धारा 11 के तहत शून्यता का कोई आदेश प्राप्त नहीं किया जाता है, तो धारा 16 के प्रावधानों का उपयोग शून्य विवाह के बच्चों को वैधता प्रदान करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

(11) वर्तमान परिदृश्य में, राम सिंह और अपीलकर्ता गुरनाम कौर के बीच कथित करेवा विवाह की पुष्टि नहीं हुई है, और अधिनियम की धारा 11 के तहत अमान्य होने का कोई

आदेश नहीं है। नतीजतन, अधिनियम की धारा 16 लागू नहीं होती है, और अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्क को वैधता की कमी के रूप में खारिज कर दिया जाता है।

(12) किसी अन्य मुद्दे का आग्रह नहीं किया गया था। इस अपील में कोई बल नहीं है और इसे खारिज किया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

बी.एस.जी.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सचिन सिंघल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हिसार , हरियाणा